



परिपत्र संख्या-35 Circular No:-35

सेवा में,

मेलिंग सूची के अनुसार IA&AD के सभी कार्यालय

CAG-ALL-OFFICES@ismgr.nic.in

विषय: प्रतिनियुक्ति के आधार पर वरिष्ठ लेखापरीक्षक के पदों को भरने के संबंध में।

महोदय(या),

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के योग्य और इच्छुक अधिकारियों से इस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर निम्नलिखित पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

Applications are invited from eligible and willing officials of the Indian Audit & Accounts Department for filling up the following posts in this office on deputation basis:

Sl. No.	Name of the Post	Pay level	No. of Posts	Eligibility Criteria
1.	Senior Auditor	Level-6 (₹35,400-1,12,400)	36	(a) (i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department (ii) With six years' service rendered in the grade after appointment thereto on regular basis in posts in level 5 in the pay matrix in the parent cadre or department (b) Possessing two years' experience in the field of Accounting or Auditing in a Government Organization

2. प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में 01 (एक) वर्ष की होगी, जो मुख्यालय कार्यालय के पत्र संख्या 60-Staff (App)-I/14-2023 दिनांक 27.01.2025 तथा पत्र संख्या 111-Staff (App)-I/14-2023 दिनांक 14.02.2025 के अनुसार चयनित कर्मचारी की निरंतर उपयुक्तता, इस कार्यालय की प्रशासनिक आवश्यकता तथा उक्त मुख्यालय निर्देशों के अधीन वार्षिक आधार पर बढ़ाई जाएगी। चयनित अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार पात्र होगा। The term of deputation will be initially for 01(one) year as per HQ letter No 60-staff(App)-1/14-2023 dated 27.01.2025 and Letter No 111- 11- staff (App)-1/14-2023 dated 14.02.2025 and extendable thereafter on yearly basis subject to the continued suitability of the official, administrative convenience of this office and as per Headquarter letter mentioned above. The selected official will be entitled to Deputation Allowance as per DoPT's OMs.

3. प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर कर्मचारी को किसी भी समय मूल विभाग में वापस भेजा जा सकता है।

The official can be repatriated at any time based on administrative convenience.

4. फीडर श्रेणी के वे विभागीय कर्मचारी जो प्रत्यक्ष पदोन्नति की पंक्ति में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के अनुसार 56 (छप्पनवर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

The department officials in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The Maximum age limit for selection by deputation shall not be exceeding 56 (fifty-six) years as on the closing date of receipt of applications.

5. ऐसे पात्र एवं इच्छुक कर्मचारी, जिन्हें चयन होने की स्थिति में इस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता हो, उनके आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों सहित अधोहस्ताक्षरी को 05.08.2026 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित किए जाएँ—

The application of the eligible and willing officials who can be spared immediately in the event of their selection on deputation to this office, accompanied with the following documents/certificates may kindly be forwarded to the undersigned latest by 05.08.2026-

i) Bio-Data

ii) Attested Copies of APAR for the last five years.

iii) Disciplinary/Vigilance Clearance / Major or Minor Penalty / Integrity Certificate

(प्राधिकार: प्रधान महालेखाकार के आदेश दिनांक: 22.07.2026)

संलग्न: बायो-डाटा ।

हस्ता/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं.प्रशासन(ले.प.)/प्रतिनि./परिपत्र/
प्रतिलिपि:

18-1644
22/7/26

1. सभी नोटिस बोर्ड

✓ 2. ओआईओएस सेल

3. कार्यालय आदेश फ़ाइल

9/8/26
22/07/2026

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन-I)